23

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 4326-दो/2016 - विरूद्ध आदेश दिनांक 28-11-2016 - पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा, जिला सीहोर - प्रकरण 18/16-17 अपील

लक्ष्मीनारायण पुत्र देवचन्द लखेरा
ग्राम मेहतवाड़ा तहसील जावर
जिला सीहोर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- अयूब बेग बल्द अब्बास बेग
2- अनारसिंह पुत्र भीमसिंह सेंधव
ग्राम मेहतवाड़ा तहसील जावर जिला सीहोर ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री नीरज श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री नोमान खान)

आ दे श

(आज दिनांक 6 - 03 -2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा, जिला सीहोर के प्रकरण 18/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-11-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार जावर को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक क्रमांक 1 का मकान है उसके वगल में अनावेक ने ग्राम के सजन सिंह पहलवान से मकान क्रय किया है जिसे तोड़कर बनाया जा रहा है। उक्त मकान दोनों आवेदकों के मकान के बीच में है । यह मकान सजन सिंह को पूर्व में राधेश्याम अजमेरा ने बेचा था जिनसे मकान की दीवारों को लेकर विवाद है। दीवार के संबंध में लिखा-पढ़ी है जो संलग्न है।

हमें शॅका है कि अनादेवक हमारे मकान की दीवारें तोड़ेगा तथा झगढ़ा करेगा। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा मकान निर्माण के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है, उसे निरस्त किया जाय। तहसीलदार जावर ने प्रकरण कमांक 96 बी 121/2014-15 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 10-11-16 पारित करके आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी आष्टा ने प्रकरण 18/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-11-2016 (निगरानी मेमो में आदेश दिनांक 28-11-16 गलत अंकन) से स्थगन प्रदान किया। अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई हे।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने आवेदक की ओर से लेखी बहस भी प्रस्तुत हुई है। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया ।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में देखना यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा ने अंतरिम आदेश दिनांक 27-11-16 से स्थगन जारी करने में क्या बैधानिक त्रृटि की है ? अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के अंतरिम आदेश दिनांक 27-11-16 का अंश उद्धरण इस प्रकार है -

'' अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 52 आवेदन पत्र, शपथ पत्र का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया जिसमें कहा गया है कि माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस तथ्यों एंव विधि आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलकर्ता को सफल होने की पूर्ण संभावना है इसलिये अपील के निराकरण तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10-11-16 को पारित आदेश की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना न्यायोचित होगा अन्यथा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील निरर्थक हो जावेगी जिससे अपीलकर्ता को अहसनीय क्षति होगी। ''

अपीलकर्ता द्वारा दिये गये धारा 52 के आवेदन पत्र में दिये गये विवरण से अनुविभागीय अधिकारी सहमत हुये हैं और उन्होंने तहसीलदार जावर के आदेश दिनांक 10-11-16 को आगामी आदेश तक स्थगित किया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 में स्थगन दिये जाने, न दिये जाने के संबंध में विचारणीय तत्व बताये गये है जिसके अनुसार किसी आदेश का

निष्पादन तभी रोका जाएगा जब व्यथित पक्षकार को ऐसी अपरिमार्जनीय क्षति की संभावना हो, जिसका समुचित परिमार्जन न किया जा सके। भूमि से कब्जा चला जाना अथवा किसी निर्माण का तुड़वाया जाना ऐसी क्षति है जो अपरिमार्जनीय मानी जाती है। विचाराधीन मामले में तहसीलदार के प्रकरण में भी इसी प्रकार की स्थिति है। रोक का आदेश देने की शक्ति के प्रयोग के संबंध में व्यवस्था दी गई है कि रोक का आदेश देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है इस विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी आष्टा, जिला सीहोर ने अंतरिम आदेश दिनांक 27-11-2016 पारित करते समय स्वविवेक का प्रयोग कर स्थगन प्रदान किया है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा, जिला सीहोर द्वारा प्रकरण 18/16-17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-11-2016 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर